



रामकृष्ण मिशन आश्रम, दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र, मोराबादी, राँची- 834008



जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं कल्याण
विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम



1 अप्रैल 2023 से कृषि और कृषि सम्बंधित विषयों पर निःशुल्क आवासीय
प्रशिक्षण हेतु नामांकन

प्रशिक्षण कार्यक्रम

डेढ़ माह

मधुमक्खी पालक सह
लाह उत्पादक,
मशरूम उत्पादक सह
फल परिरक्षण

तीन माह

माली, गो पालक, मुर्गियों
की स्वस्थ प्रबंधन, मतस्य
पालन, मृदा स्वस्थ प्रबंधन,
जैविक खेती, पम्प मरम्मत

छह माह

बढईगिरी,
इलेक्ट्रीशियन,
वेलिडंग

सुपरवाइजर प्रशिक्षण- छह माह

उपरोक्त सभी बिषय में
(बढईगिरी, इलेक्ट्रीशियन,
वेलिडंग छोड़ कर)छात्र वृत्ति
के साथ

योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तें

- उम्र 18 से 35।
- शुल्क : निःशुल्क (किसी भी राज्य के अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति (एससी), ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), अल्पसंख्यक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार)।
- सामान्य वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के लिए आवासीय रियायती पाठ्यक्रम शुल्क रु. 2500/- प्रति माह।
- इसके अतिरिक्त सभी वर्गों के लिए गैर आवासीय अल्प अवधि (4 से 5 दिन) कोर्स फी रु. 1000/-।
- महिला उम्मीदवारों के लिए छात्रावास की सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण नहीं कराना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए छात्रावास की सुविधा होने के बाद इसकी सूचना दी जाएगी।

नामांकन हेतु 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2023 तक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आएँ

- आधार कार्ड
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- हाल ही में खिंची हुई रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
- संपर्क – 06512551008, 8252910731, 7991186198

नोट: प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद सभी प्रशिक्षुओं को दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अनुमोदित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

पंजीयन संख्या :

दिनांक :

रामकृष्ण मिशन आश्रम, दिव्यायन कृषि विज्ञान केन्द्र

स्वामी विशुद्धानन्द पथ, मोराबादी, राँची - 8

रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय)

नैक द्वारा A++ दर्जा प्राप्त ऑफ कैम्पस केन्द्र

"तीन वर्ष देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केन्द्र घोषित" (1996-97, 2016-17 एवं 2018-19 में)



Ministry of Tribal Affairs
Govt. of India

जन जातीय मंत्रालय, भारत सरकार एवं कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम



Department of Welfare
Govt. of Jharkhand

प्रमाण पत्र

श्री/सुश्री/श्रीमती आत्मज/आत्मजा श्री

ग्राम पंचायत प्रखण्ड जिला

राज्य ने विषय

पर प्रशिक्षण दिनांक से तक सफलतापूर्वक प्राप्त किया।

विषय प्रभारी

समन्वयक

सचिव/प्रशासनिक प्रधान